



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 55]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 19, 2005/पौष 29, 1926

No. 55]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 19, 2005/PAUSA 29, 1926

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

(कागज खण्ड)

आदेश

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2005

का.आ. 66(अ).—केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18छ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्यूजप्रिंट नियंत्रण आदेश, 2004 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम न्यूजप्रिंट नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2005 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. न्यूजप्रिंट नियंत्रण आदेश, 2004 की अनुसूची में,—

(i) देशी न्यूजप्रिंट विनिर्माताओं के नाम और अवस्थिति से संबंधित मद 4 में क्रम सं. 70 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

“71. मैसर्स प्रगति पेपर्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, गांव हंडेसरा, तहसील डेरावस्सी, जिला पटियाला, पंजाब राज्य।

72. मैसर्स मोहित पेपर मिल्स लिमिटेड, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश राज्य।

73. मैसर्स सुमित एग्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड, गांव पांचली, बागपत रोड, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश राज्य।”;

(ii) मद 5 का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 4(3)/2004-कागज]

एल. जगदीशन. संयुक्त सचिव

टिप्पण :—मूल आदेश भारत के राजपत्र में सं. का.आ. 1105(अ), तारीख 11 अक्टूबर, 2004 के तहत प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Industrial Policy and Promotion)****(PAPER SECTION)****ORDER**

New Delhi, the 19th January, 2005

S.O. 66(E).—In exercise of the powers conferred by Section 18G of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following Order to amend the Newsprint Control Order, 2004 namely :—

1. (1) This Order may be called the Newsprint Control (Amendment) Order, 2005.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Newsprint Control Order, 2004, in the Schedule,—

(i) in item 4 relating to the Name of the Mill and Location of the Indigenous newsprint manufacturers, after S. No. 70 and the entries relating thereto, the following shall be added, namely :—

“71. M/s. Pragati Papers Industries Limited, Village Handesra, Tehsil Derabassi, District Patiala, in the State of Punjab.

72. M/s. Mohit Paper Mills Limited, District Bijnor, in the State of Uttar Pradesh.

73. M/s. Sumit Agro Products Limited, Village Panchli, Bhagpat Road, District Meerut, in the State of Uttar Pradesh.”;

(ii) item 5 shall be omitted.

[F.No.4(3)/2004-Paper]

S. JAGADEESAN, Jt. Secy.

Note :—The principal order was published in the Gazette of India *vide* No. S.O. 1105(E), dated the 11th October, 2004.